न्यायालय अंचल अधिकारी, काँके (राँची)

विविध वाद संख्या– 03 / 2022–23

श्री महेश कुम्हार एवं अन्य .... वादी

बनाम्

शाहीद हसन ....प्रतिवादी

विषयः– जमाबंदी निरस्तीकरण मौजा– ओयना

आदेश

कार्रवाई के आदेश की तिथि	न्यायालय के आदेश एवं हस्ताक्षर	कार्यालय आदेश एवं दिनांक
07/01/23	आवेदक महेश कुम्हार वो पारस कुम्हार पिता– प्रदीप कुम्हार ग्राम– नेवरी, थाना– सदर, जिला– राँची को मौजा– ओयना, खाता सं0– 1, प्लॉट सं0– 400, रकबा– 50 डी0 भूमि खरीदगी से प्राप्त है। जिसका ऑनलाईन पंजी ॥ के भाग सं0– 2, पृष्ट सं0– 395 एवं 396 में दर्ज है। उनके द्वारा आवेदित किया गया है कि पंजी ॥ में छेड़छाड़ करते हुए भाग सं0– 1, पृष्ट सं0– 50 में रकबा– 50 डी0 भूमि दर्ज किया गया है। आवेदक के द्वारा छेड़छाड़ कर दर्ज उक्त जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। उनके द्वारा समर्पित पक्ष के अनुसारः– • **आवेदक महेश कुम्हार का पक्षः**– हमारी जमीन मौजा ओयना, थाना– पिठोरिया, जिला– राँची में अवस्थित है जिसका खाता सं0 01, प्लॉट सं0 400, रकबा 50 डी0 है। उक्त जमीन को हमारे द्वारा दो अलग–अलग निबंधित बिक्री पट्टा के द्वारा खरीद कर प्राप्त किए हैं (खरीदगी पट्टा संलग्न)। हम खरीदगी तिथि से शांतिपूर्ण दखलकार चले आ रहे हैं, साथ ही खरीदने के पश्चात् नियमानुसार दाखिल खारिज भी कराकर लगान का भुगतान करते हुए खास लगान रसीद बराबर प्राप्त करते आ रहे हैं जो अंचल कार्यालय, काँके में पंजी ॥ के भोलुम नं0 2 के पेज नं0 395 एवं 396 में दर्ज है। उक्त जमीन खतियान में बकाश्त मालिक दर्ज है और लगान पानेवाला का नाम दुबराज सिंह वगैरह है और हम सब बकाश्त मालिक के उत्तराधिकारीगण रविन्द्र नाथ सिंह व मंगल सिंह से खरीद कर प्राप्त किए हैं। महोदय, उल्लेखित जमीन बकाश्त प्रकृति का है जो जमींदार की विशेष भूमि के अन्तर्गत आता है। जमींदारी व्यवस्था उन्मूलन के पश्चात् बिहार भूमि सुधार अधिनियम अस्तित्व में आया और जिसके सुसंगत प्रावधान के अनुरूप उक्त जमीन का एम0 फार्म से लगान निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण की गई जिसके आधार पर रैयत अपने नाम से लगान का भुगतान कर बराबर खास लगान रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। (खतियान तथा एम. फार्म का छायाप्रति संलग्न) महोदय हम खरीददार महेश कुम्हार व पारस कुम्हार दोनो के पिता श्री प्रदीप कुम्हार भूमि को दो निबंधित बिक्री पट्टा के द्वारा क्रय कर शांतिपूर्ण दखलकार हुए तथा अपने नाम से दाखिल–खारिज सम्पन्न करा चुके हैं जिसका नामांतरण वाद सं0 1706 / 2004–05 है और नामांतरण आदेश के उपरान्त पंजी ॥ के भोलुम–2 के पेज नं0– 395 में दर्ज हुआ है जिसके अनुसार मालगुजारी का भुगतान कर खास रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं। (लगान रसीद और पंजी ॥ संलग्न) महोदय ज्ञातव्य हो कि उक्त जमीन का एक अवैध जमाबंदी भी वर्त्तमान में चल रहा है जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं है जो काँके अंचल के पंजी ॥ के भोलुम 01 के पेज नं0 50 पर दर्ज है। ध्यातव्य हो कि विधि के अनुसार किसी भी	

परिस्थिति में खाता 01 का जमीन का कंटीनिवस खतियान अंचल के मूल पंजी के भोलुम 01 के पृष्ट नं0 50 में दर्ज नहीं हो सकता है। जब भी कंटीनिवस खतियान संधारित होगा तब अनिवार्य रूप से खाता 50 का पंजी II के पृष्ट संख्या 50 में खाता 50 से संबंधित जमीन का संधारण होगा जो कि कंटीनिवस खतियान संधारण का प्रचलित विधि है। विधि के अनुसार खाता 50 का कंटीनिवस खतियान पंजी II में दर्ज है जिसमें खाता 50 से संबंधित जमीन का उल्लेख है जो कि विधि के अनुरूप है। खाता नं0 50 के साथ खाता नं0 1 का वकाश्त जमीन का पंजी II के भोलुम 1 के पृष्ट सं0 50 में उल्लेख विधि विरूद्ध है। महोदय, हाल में बिचौलियों और दलालों के द्वारा पंजी II से छेड़–छाड़ कर खाता 01 की जमीन का संधारण खाता 50 के साथ कर दिया गया है जो कि विधि के मूल भावना के प्रतिकुल है। उक्त विधि विरूद्ध कृत कार्य का सुधार करते हुए जिन लोगों के द्वारा यह कृत किया गया है उनका पहचान कर FIR भी दर्ज किया जाए।

उपरोक्त अवैध जमाबंदी के निम्नलिखित आधार –

1. काँके अंचल के पंजी II के भोलुम 1 के पेज नं0 50 में मूल प्रति देखने से स्पष्ट होता है कि पंजी II में छेड़–छाड़ करते हुए खाता 01, प्लॉट 400 की जमीन, रकबा 50 डी0 को प्रविष्ट कर दिया गया है। ज्ञात हो कि उक्त प्लॉट का वैध जमाबंदी एम0 फार्म से लगान निर्धारण के बाद खतियानी रैयत के नाम से संधारित हुआ और खतियारी रैयत के बिक्री पश्चात् हाल खरीददार के नाम दा0खा0 के उपरांत चल रहा है, जिसका उल्लेख उपर्युक्त पंक्तियों में किया गया है।
2. काँके अंचल के पंजी II के भोलुम 1 के पेज नं0 50 में खाता 01 की जमीन दर्ज होना ही स्पष्ट करता है कि पंजी II के साथ छेड़–छाड़ की गई है।
3. काँके अंचल के पंजी II के भोलुम 1 के पेज नं0 50 में खाता 50 की जमीन के साथ खाता 01 की भी जमीन दर्ज है जो पंजी II संधारण नियम के विरूद्ध है।
4. पंजी II संधारण नियम के अनुसार भोलुम के पेज नं0 50 में सिर्फ खाता 50 से संबंधित जमीन का संधारण संभव है।
5. काँके अंचल के पंजी II के भोलुम 1 के पेज नं0 50 में खाता 01 की जमीन किसी भी स्थिति में संधारित नहीं किया जा सकता है।
6. संबंधित जमीन का वैध नामांतरण खरीद–बिक्री द्वारा सम्पन्न हुआ है जो पंजी II के भोलुम–2 के पेज नं0– 396 एवं 395 में नामांतरण उपरांत दर्ज है।

महोदय, अवैध जमाबंदी होने के कारण शाहीद हसन, पिता– स्व0 युसुफ अंसारी निवासी ग्राम– ओयना, थाना– पिठोरिया, जिला– राँची के द्वारा उक्त भूमि को हड़पने के नियत से एक फर्जी सादा हुकुमनामा बना कर मो0 जेयारत अंसारी को पावर दे दिया गया है और पावर के आधार पर अपनी ही पत्नी शाहजादी बेगम के नाम से बिक्री पट्टा निष्पादित कर दिया गया है और पिछले दो वर्ष मे चार बार दाखिल खारिज हेतु आवेदन कर चुके हैं जिसमें से तीन बार अस्वीकृत हो चुका है तथा चौथा आवेदन वाद सं0– 8282/2021–22 अभी लंबित है।

महोदय, आपके द्वारा आवेदिका को बार–बार निर्देशित किया गया है कि आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील किया जा सकता है परन्तु आवेदिका द्वारा लगातार दाखिल खारिज हेतु अंचल कार्यालय में आवेदन देना उनके नियत पर संदेह करने योग्य है तथा यह कृत्य विधि सम्मत भी है।

- **द्वितीय पक्ष शाहिद हसन का पक्षः–**
  1. यह कि आवेदकगण के द्वारा दायर जमाबंदी रद्द करने संबंधी आवेदन बिल्कुल निराधार एवं सत्य से परे है।
  2. यह कि आवेदकगण के द्वारा दायर जमाबंदी रद्द करने सम्बन्धी आवेदन गैरकानूनी व बिल्कुल असवैन्धानिक व निरस्त करने योग्य है।
  3. यह कि आवेदकगण के द्वारा दायर जमाबंदी रद्द करने सम्बन्धी आवेदन जमीन

Scanned with CamScanner

अंतर्गत खेवट नं0 3/1, खाता नं0 01, प्लॉट नं0 400, रकबा 0.50 एकड़ वाके मौजा– ओयना, थाना– पिठोरिया, थाना नं0– 46, जिला– राँची के सम्बन्ध में लाया गया है।

4. यह कि उक्त जमीन आर0एस0 खतियान में बकास्त मालिक नाम लगान पाने वाल दुबराज सिंह वगैरह के नाम से दर्ज है तथा उक्त प्लॉट खतियान के कैफियत कॉलम में बकब्जे शेख गंशु वगैरह दर्ज है।
5. यह कि शेख गंशु उर्फ शेख गुंदु अपने जीवनकाल तक उक्त जमीन पर शांतिपूर्ण रूप से दखलकार रहे तथा अपने पीछे अपने पुत्र शेख महेश को छोड़कर स्वर्गवास कर गए जो अपने पिता के मृत्यु के पश्चात् उक्त जमीन पर शांतिपूर्ण दखलकार हुए तथा अपने पीछे दो पुत्र शेख इमाम अली व शेख जुमन को छोड़कर स्वर्गवास कर गए जो अपने पिता के मृत्यु के पश्चात् उक्त जमीन पर शांतिपूर्ण दखलकार हुए तथा खेती–बाड़ी व जोत–कोड़ कर आबाद किये।
6. यह कि उपरोक्त शेख गंशु उर्फ शेख गुंदु के नियमित दखल व कब्जा को संपुष्ट करते हुए उक्त जमीन को बकास्त मालिक दुबराज सिंह ने एक हुकुमनामा दिनांक 24.04.1990 के माध्यम से शेख इमाम अली, पिता शेख महेश, निवासी ग्राम ओयना, थाना– पिठोरिया, जिला– राँची के पक्ष में मोब्लिग 80 रूपया नजराना ले कर रैयती बंदोबस्त कर उनको दखलकार भी बना दिए व उक्त जमीन पर उनके मालिकाना हक हकियत को भी पुनः संपुष्ट कर दिए।
7. यह कि उपरोक्त रैयती बंदोबस्ती के पश्चात् शेख इमाम अली, पिता शेख महेश, निवासी ग्राम ओयना, थाना– पिठोरिया, जिला– राँची शांतिपूर्ण रूप से दखलकार रहते हुए जमींदार के सिरेस्ते में मालगुजारी का भुगतान भी किये तथा उनके नाम से मालगुजारी रसीद भी निर्गत हुआ।
8. यह कि शेख महेश अपने पीछे दो पुत्र शेख इमाम अली व शेख जुमन को छोड कर स्वर्गवास कर गए तथा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् उनके नाम से संयुक्त रूप से उक्त जमीन के अलावे उनके खतियानी जमीन अंतर्गत खाता नं0 50 वाके मौजा– ओयना, थाना– पिठोरिया, थाना सं0– 46, जिला– राँची कि जमाबंदी कायम हुआ जो उक्त मौजा– के पंजी II में वॉल्यूम संख्या 1 के पृष्ट संख्या 50 में शेख जुमन वगैरह के नाम से दर्ज पाया गया तथा उनके द्वारा मालगुजारी का भुगतान भी किया गया और उनके नाम से अंचल रसीद खास भी निर्गत हुआ।
9. यह कि उपरोक्त शेख इमाम अली व शेख जुमन के बीच आपसी घरेलु बंटवारा संपन्न हुआ जिसके फलस्वरूप उपरोक्त खाता नं0 01, प्लॉट नं0 400, रकबा 0.50 एकड़ वाके मौजा– ओयना, थाना– पिठोरिया, थाना नं0– 46, जिला– राँची के अलावे अन्य जमीन शेख इमाम अली को हिस्से में प्राप्त हुई जिसपर वह मालिक कि हैसियत से दखलकार हुए तथा मालगुजारी का भुगतान कर अंचल रसीद भी शेख जुमन वगैरह के नाम से प्राप्त किये।
10. यह कि उक्त शेख इमाम अली अपने पीछे एक मात्र पुत्र मो0 युसूफ अंसारी को छोड़कर स्वर्गवास कर गए तथा उनके मृत्यु के पश्चात् उनके एकमात्र वंशज के हैसियत से उपरोक्त वर्णित जमीन के अलावे उक्त शेख इमाम अली के तमाम जायदाद के मालिक हुए तथा मालिक कि हैसियत से दखलकार हुए तथा मालगुजारी का भुगतान कर अंचल रसीद भी शेख जुमन वगैरह के नाम से प्राप्त किये।
11. यह कि उक्त मो0 युसूफ अंसारी अपने पीछे दो पुत्र मो0 हुसैन अंसारी व मो0 शाहिद हसन को छोड़ कर स्वर्गवास कर गए तथा उनके मृत्यु के पश्चात् उनके वंशज के हैसियत से उपरोक्त वर्णित जमीन के अलावे उक्त मो0 युसूफ अंसारी के तमाम जायदाद के मालिक हुए तथा मालिक कि हैसियत से दखलकार हुए तथा आपसी बंटवारा उक्त जमीन के अलावे अन्य जमीन का कर लिए जिसके

फलस्वरूप उपरोक्त जमीन मो0 शाहिद हसन को हिस्से में प्राप्त हुई जिसपर वह शांतिपूर्ण दखलकार हुए तथा मालगुजारी का भुगतान कर अंचल रसीद भी शेख जुगन वगैरह के नाम से प्राप्त किये।

12. यह कि तत्पश्चात् उक्त मो0 शाहिद हसन उपरोक्त जमीन अन्तर्गत खाता नं0 01, प्लॉट नं0 400, रकबा 0.50 एकड़ वाके मौजा– ओयना, थाना– पिठोरिया, थाना सं0– 46, जिला– राँची कि बिक्री अपने अन्यान्य अवाश्यक्तावों के पूर्ति हेतु उचित प्रतिफल के प्राप्ति के पश्चात् अपने अधिकृत पॉवर होल्डर मो0 जेयारत अंसारी के माध्यम से एक निबंधित बिक्री पट्टा के द्वारा विपक्षी कि पत्नी शहजादी बेगम के नाम से कर दिए जिसका पट्टा संख्या 201/193, दिनांक 11.01.2021 है जो जिला अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है।

13. यह कि उक्त खरीदगी के पश्चात् उक्त शहजादी बेगम उक्त जमीन पर शांतिपूर्ण रूप से दखलकार हुए तथा अब तक उनका शांतिपूर्ण दखल कब्जा उक्त जमीन मालिक के हैसियत से चला आ रहा है जो हर दृष्टिकोण से उचित एवं न्यायसंगत है।

14. यह कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उपरोक्त तकरारी जमीन विपक्षी के पत्नी शहजादी बेगम के हक दखल कब्जा में है जिसपर आवेदकगण का दावा बिल्कुल गलत नाजायज वो निरस्त करने योग्य है।

15. यह कि उक्त विपक्षी के पत्नी शहजादी बेगम का दावा सही, सत्य एवं जायज है।

16. यह कि आवेदकगण का दावा असंवैधानिक व नाजायज है, अतः आवेदकगण के द्वारा दायर जमाबंदी रद्द करने सम्बन्धी आवेदन को हर्जाने के साथ निरस्त किया जाय।

प्रश्नगत् भूमि के संबंध में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है।

1. **राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदनः–** आवेदक श्री महेश कुम्हार एवं पारस कुम्हार पिता– प्रदीप कुम्हार ग्राम– नेवरी, थाना– सदर के द्वारा अंचल कार्यालय, काँके मौजा– ओयना, खाता सं0– 1, प्लॉट सं0– 400, रकबा– 50 डी0 भूमि का पंजी II के भाग सं0– 1 पृष्ट सं0– 50 में दर्ज जमाबंदी को रद्द करने के संबंध में आवेदन प्राप्त है। उक्त के आलोक में जाँच प्रतिवेदन निम्नवत् हैः–

- **सर्वे खतियान के अनुसारः–** मौजा– ओयना, थाना सं0– 46 के अन्तर्गत खाता सं0– 1, प्लॉट सं0– 400, रकबा– 50 डी0 भूमि सर्वे खतियान में वकास्त मालिक नाम लगान पानेवाला दुबराज सिंह वगैरह के नाम से दर्ज है।

- **पंजी II के अनुसारः–**

क्र0	रैयत का नाम	मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा	भाग/पृष्ट
1	शेख जुगन वगैरह पिता सेख महेश	ओयना	1	400	50 डी0	1/50
2	महेश कुम्हार वो पारस कुम्हार पिता– प्रदीप कुम्हार	ओयना	1	400	15 डी0	2/395 दा0खा0 (कैम्प कोर्ट) वाद सं0– 1705R27/2004–05 के अनुसार दर्ज है।
3	महेश कुम्हार वो पारस कुम्हार पिता– प्रदीप कुम्हार	ओयना	1	400	35 डी0	2/396 दा0खा0 (कैम्प कोर्ट) वाद सं0– 1706R27/2004–05 के अनुसार दर्ज है।

Scanned with CamScanner

- **जाँच प्रतिवेदनः–** मौजा– ओयना के खाता सं0– 5+1, प्लॉट सं0– 401, 275 वो 400, रकबा क्रमशः– 47 डी0, 27 डी0 एवं 50 डी0, कुल रकबा– 1.24 एकड़ भूमि पंजी II के भाग सं0– 1, पृष्ट सं0– 50 में शेख जुमन वगैरह पिता– शेख महेश के नाम से दर्ज है जिसका कैफियत कॉलम में दर्ज होने का कोई आधार/विवरणी नहीं है। मूल पंजी II के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मूल पंजी II में छेड़छाड़ कर उक्त जमाबंदी को दर्ज किया गया है (प्रति संलगन)।

2. **अंचल अमीन प्रतिवेदनः–** राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के साथ मौजा– ओयना, थाना सं0– 46, खेसरा सं0– 400, रकबा– 0.50 एकड़ भूमि का स्थल जाँच सर्वे नक्शा के आधार पर किया गया। वर्त्तमान में प्रश्नगत भूमि पर धान फसल काटने का अवशेष है। स्थानीय पुछताछ में प्रश्नगत भूमि क्रेता महेश कुम्हार वगैरह का दखल बतलाया गया। दखल कब्जा का पुष्टि मुखिया, ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्त ग्राम पंचायत चन्दवे तथा ग्रामिणों द्वारा लिखित रूप में दिया गया है जो प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक द्वारा पंजी II के भाग सं0– 1, पृष्ट सं0– 50 में दर्ज मौजा– ओयना, थाना सं0– 46, खाता सं0– 1, प्लॉट सं0– 400, रकबा– 50 डी0 भूमि की जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आलोक में पंजी II के भाग सं0– 1, पृष्ट सं0– 50 में दर्ज मौजा– ओयना, थाना सं0– 46, खाता सं0– 1, प्लॉट सं0– 400, रकबा– 50 डी0 भूमि की जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी
कांके, राँची।

अंचल अधिकारी
कांके, राँची।

Scanned with CamScanner

(7)

अंचल अधिकारी,
काँके, रांची।

विषयः– विविध वाद सं0– 03/2022–23 महेश कुम्हार एवं अन्य बनाम् शाहीद हसन में जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आवेदक श्री महेश कुम्हार एवं पारस कुम्हार पिता– प्रदीप कुम्हार ग्राम– नेवरी, थाना– सदर के द्वारा अंचल कार्यालय, काँके मौजा– ओयना, खाता सं0– 1, प्लॉट सं0– 400, रकबा– 50 डी0 भूमि का पंजी II के भाग सं0– 1 पृष्ट सं0– 50 में दर्ज जमाबंदी को रद्द करने के संबंध में आवेदन प्राप्त है। उक्त के आलोक में जाँच प्रतिवेदन निम्नवत् हैः–

- **सर्वे खतियान के अनुसारः**– मौजा– ओयना, थाना सं0– 46 के अन्तर्गत खाता सं0– 1, प्लॉट सं0– 400, रकबा– 50 डी0 भूमि सर्वे खतियान में वकास्त मालिक नाम लगान पानेवाला दुबराज सिंह वगैरह के नाम से दर्ज है।
- **पंजी II के अनुसारः**–

पृ.25
21/12/22

क्र0	रैयत का नाम	मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा	भाग/पृष्ट
1	शेख जुमन वगैरह पिता सेख महेश	ओयना	1	400	50 डी0	1/50
2	महेश कुम्हार वो पारस कुम्हार पिता– प्रदीप कुम्हार	ओयना	1	400	15 डी0	2/395 दा0खा0 (कैम्प कोर्ट) वाद सं0– 1705R27/2004–05 के अनुसार दर्ज है।
3	महेश कुम्हार वो पारस कुम्हार पिता– प्रदीप कुम्हार	ओयना	1	400	35 डी0	2/396 दा0खा0 (कैम्प कोर्ट) वाद सं0– 1706R27/2004–05 के अनुसार दर्ज है।

- **जाँच प्रतिवेदनः**–
  1. मौजा– ओयना के खाता सं0– 5+1, प्लॉट सं0– 401, 275 वो 400, रकबा क्रमशः– 47 डी0, 27 डी0 एवं 50 डी0, कुल रकबा– 1.24 एकड़ भूमि पंजी II के भाग सं0– 1, पृष्ट सं0– 50 में शेख जुमन वगैरह पिता– शेख महेश के नाम से दर्ज है जिसका कैफियत कॉलम में दर्ज होने का कोई आधार/विवरणी नहीं है। मूल पंजी II के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मूल पंजी II में छेड़छाड़ कर उक्त जमाबंदी को दर्ज किया गया है।
  2. विविध वाद सं0– 03/2022–23 में महेश कुम्हार वो पारस कुम्हार बनाम् शाहीद हसन को अपने भूमि से संबंधित दस्तावेज के संबंध में दिनांक– 20.07.2022 को अंचल कार्यालय में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया था।
  3. इस संबंध में दोनों पक्षों ने आवेदित भूमि के संबंध में अंचल कार्यालय में अपना दस्तावेज समर्पित किया है। जिसमें प्रथम पक्ष ने आवेदित भूमि से संबंधित खतियान, रसिद, फोर्म एम0 एवं दस्तावेज सं0– 8428, दिनांक– 27.07.2001 एवं दस्तावेज सं0– 1712, दिनांक– 11.02.2002 की छायाप्रति एवं उक्त दोनों दस्तावेज से संबंधित दा0खा0 शुद्धि पत्र जमा किया गया है (प्रति संलग्न)।

Scanned with CamScanner

(8)

4 विविध वाद सं0– 03 / 2022–23 के द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त भूमि से संबंधित एक लिखित आवेदन दिया है जिसमें द्वितीय पक्ष ने आवेदित भूमि का एम0फोर्म, खतियान, रसीद वो दस्तावेज सं0– 193, दिनांक– 11.01.2021 की छायाप्रति जमा किया है (प्रति संलग्न)।

अतः उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है।

रा0 उप निरीक्षक

अंचल निरीक्षक
काँके।

Digitally signed by DIWAKARPRASAD CHANDRIKAPRASAD DWIVEDI
Date: 2023.05.08 14:15:38 +05:30
Location: 192.168.29.226

Scanned with CamScanner